प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान सं0–81 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक 2515007960101 20

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी
आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, रामपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर–खीरी, बहराइच, इलाहाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सन्तरविदास नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, मऊ तथा कानपुर नगर।

संख्याः 1/शा0/99/2012–1/253/2012 ,लखनऊः दिनॉक 16 नवम्बर, 2012

विषयः निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए टी0एस0पी0 (अनुसूचित जनजातियों) के लिए अनुदान–81 के अन्तर्गत राज्यांश मद में रू0–6.59 लाख की धनराशि का आवंटन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–455/26–ब0प्र0–2012–100(19)/2012 ,दिनॉक 12–11–2012 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदानं संख्या–81 के उपर्युक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–15.00 लाख में से राज्यांश मद में **रू0–6.59 लाख (रूपया छः लाख उनसठ हजार मात्र)** जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार उल्लिखित जनपदों के नाम के सम्मुख अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–1515/दस–2012–231/2012 दिनांक 09.07.2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/ जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेंन्ट)मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सीयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि एस0सी0एस0पी0/एस0टी0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक एस0सी0 लाभार्थियों हेतु एस0सी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

6– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

7– जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।